न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 59/2017

RCMS Case No. 2017/00261

प्रार्थी:–

हस्तीमल पुत्र गोरधनदास जाति साद निवासी रानी कला तहसील रानी

बनाम

अप्रार्थीगण:–

1. सरपंच ग्राम पंचायत रानी कला पंचायत समिति रानी
2. धन्नाराम कालबेलिया पुत्र खीमाराम जाति कालबेलिया जोगी, निवासी रानी कलां तहसील रानी

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री मांगीलाल प्रजापत, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी

श्री गुलाबराम मीणा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक:– 22/1/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, रानी कला द्वारा मिसल संख्या 2/2012–2013 संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.10.2012 एवं 23.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए व कानून के विपरित जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रार्थी अन्य पिछडा वग्र जाति का होने से एवं गांव रानी में स्वयं का आवास नहीं होने से ग्राम पंचायत रानी द्वारा प्रार्थी को दिनांक 02.10.1982 को प्लॉट संख्या 19 पट्टा संख्या 64 पंचायत द्वारा पूर्ण कोरम में प्रस्ताव पारित करते हुए प्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया था तथा प्रार्थी को कब्जा सुपुर्द किया गया। इस भूमि पर प्रार्थी का कच्चा केलपोश का ढालिया बनाया था एवं प्रार्थी खाने कमाने हेतु बाहर रहता है एवं अत्यधिक बारिश में उक्त ढालिगया गिर जाने से इस वर्ष प्रार्थी ने पक्का निर्माण करवाना चाहा, तो अप्रार्थी संख्या 2 ने मौके पर विवाद कर दिया, जिस पर प्रार्थी ने दिनांक 16.07.2017 को पुलिस थाना रानी में अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध शांति भंग करने बाबत रिपोर्ट प्रस्तुत की। पुलिस द्वारा पूछताछ में अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी की पट्टा सुदा भूमि पर स्वयं के नाम अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने के कथन कहे, जिस पर प्रार्थी को उक्त पट्टे की जानकारी हुई। चूंकि इस भूमि का पूर्व में पट्टा प्रार्थी के नाम से जारी हो

अति० जिला कलेक्टर, पाली

चुका था, इसलिए ग्राम पंचायत को इसी भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था। इस प्रकार ग्राम पंचायत ने दूषित प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 2 ने न तो ग्राम पंचायत के समक्ष विधि अनुसार आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही किसी प्रकार की राशि जमा करवाई। अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत के समक्ष यह स्पष्ट ही नहीं किया कि उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का आधिपत्य कैसे एवं कब से है। जैर निगरानी पट्टा जारी करने से पूर्व न तो ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका निरीक्षण किया तथा न ही पंचों द्वारा निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही विधि विरूद्ध रूप से की गई है। पूर्व में इसी भूमि का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी हो चुका था, इसके बावजूद ग्राम पंचायत द्वारा इसी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 को पट्टा जारी किया गया है, जिसकी ग्राम पंचायत को अधिकारिता नहीं थी। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जो पट्टा जारी किया गया है, वह विधि सम्मत नही होने के कारण खारिज किया जावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है। जिसके कारण नियम 157 के तहत ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। पट्टा जारी करने से पूर्व ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मौका पर जाकर मोके का नक्शा तैयार किया गया है तथा इसके पश्चात वार्ड पंचों द्वारा मोका निरीक्षण किया गया है। इस भूमि पर वर्ष 1995 से पूर्व का रहवास है, इसके सबूत अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत किए है। प्रार्थी द्वारा स्वयं को पट्टा वर्ष 1982 में बीस सूत्री कार्यक्रम के दौरान बनाया जाना बताया है, जिसमें 2 वर्ष के भीतर उक्त भूमि पर निर्माण कार्य करवाना आज्ञापक है, किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करवाया गया, इस कारण प्रार्थी के नाम जारी तथाकथित पट्टा आरम्भ से ही शून्य प्रभावी है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा न होकर अप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा है, जिसके कारण ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया की पालना करते हुए अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः प्रार्थी की निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रानी कला द्वारा मिसल संख्या 2/2012–2013 संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.10.2012 एवं 23.01.2013 की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 23.01.2013 के विरूद्ध पेश की गई है। ग्राम पंचायत द्वारा हस्तगत प्रकरण में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि जैर निगरानी मिसल ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस सम्बन्ध में बैठक कार्यवाही विवरण के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 21.08.2012 में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम की मिसल प्रस्तुत होने पर जरिये प्रस्ताव संख्या 1 के सचिव को नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

अति० जिला कलक्टर, पाली

इसके पश्चात बैठक दिनांक 05.09.2012 को नक्शा एवं पंचों की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किये गए। इसके पश्चात बैठक दिनांक 05.10.2012 को प्रस्ताव संख्या 5 के जरिये निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण नियम 157 के तहत प्रार्थी द्वारा 200 रूपये जमा करवाने पर पट्टे जारी करने के आदेश पारित किए गए।

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में पट्टा जारी करने की प्रक्रिया विहित है। जिसके अनुसार नियम 145 के तहत पंचायत से कोई भी आबादी भूमि/छूटा हुआ भूखण्ड या भूमि की कोई पट्टी खरीदने का इच्छुक कोई व्यक्ति पंचायत को लिखित आवेदन, उसमें उसका ऐसा विवरण देते हुए प्रस्तुत करने के प्रावधान है, जो क्रय के लिये प्रस्तावित भूमि की पहचान के लिये पर्याप्त हो तथा आवेदन के साथ स्थल निरीक्षण के व्ययों के पेटे पच्चीस रूपये की राशि जमा करानी होगी तथा आवेदन के साथ स्थल का नक्शा संलग्न नही किया गया हो तो आवेदक नक्शा तैयार करने के लिये भी पच्चीस रूपये जमा करायेगा। इसके पश्चात नियम 146 के तहत मिसल कायम करने तथा मौका निरीक्षण हेतु तीन पंचों की कमेटी मनोनीत करने तथा कमेटी द्वारा 15 दिवस के भीतर मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के प्रावधान है। नियम 147 के तहत अनंतिम विनिश्चिय करने एवं नियम 148 के तहत एक माह की अवधि के भीतर आपत्ति आमन्त्रित करने को नोटिस जारी कर प्रकाशित करने के प्रावधान है। नियम 148 के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त आक्षेप के निस्तारण के प्रावधान नियम 149 के तहत प्रदत्त है। नियम 150 के तहत भूमि को नीलाम करने की प्रक्रिया विहित है। नियम 151 में नीलामी समिति प्रावधित है। नियम 152 में बाजार कीमत सम्बन्धी तथा नियम 153 में संदाय एवं पुनर्विक्रय करने के प्रावधान उल्लेखित है तथा नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि करने के प्रावधान है। नियम 155 के तहत कब्जा सुपुर्द करने के प्रावधान है। नियम 156 के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा आबादी भूमि का अन्तरण करने के प्रावधान हे। नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथित को 50 वर्षो के दौरान बने पुरने मकानो हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। नियम 158 के तहत भूमियों का कमजोर वर्गो को आवंटन के प्रावधान है। नियम 159 के तहत भूमियों का रियायती कीमत पर आवंटन तथा नियम 160 के तहत अनुमोदन के अध्यधीन अन्तरण और आवंटन के प्रावधान उल्लेखित है।

उपरोक्त नियमों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत प्रकरण का परीक्षण करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत नियम 1996 के नियम 140 से नियम 160 में विहित प्रक्रिया की पालना का पूर्ण रूपेण अभाव पाया गया है। इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को कायम रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पंचायत, रानी कला द्वारा मिसल संख्या 2/2012–2013 संकल्प संख्या 5 दिनांक 05.10.2012 एवं 23.01.2013

अति० जिला कलेक्टर, पाली

की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 36 दिनांक 23.01.2013 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण ग्राम पंचायत रानी कलां को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करें एवं तथाकथित रूप से पूर्व में प्रार्थी के नाम जारी पट्टे के सन्दर्भ में जांच कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें। चूंकि प्रकरण में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने का जिक्र किया है। राजकीय कार्यालय से रेकर्ड का गुम होना अथवा अनुपलब्ध होना गंभीर लापरवाही का द्योतक है। अतः मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् पाली, जैर निगरानी मिसल ग्राम पंचायत रेकर्ड से अनुपलब्ध होने के सम्बन्ध में आवश्यक जांच करवावे एवं दोषी के विरूद्ध अनुशासनात्मक एवं प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही करावे। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे, साथ ही निर्णय की प्रमाणित प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, पाली को भिजवाई जावे। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख ग्राम पंचायत को लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 22/1/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली